न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

सत्र विचारण संख्या 267 सन् 2026

राज्य (द्वारा रविन्द्र राय सूचक) बनाम हरेन्द्र सिंह वगैरह

आदेश/ कार्रवाई की तिथि	आदेश	कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई तिथि सहित
16.07.2026	काण्ड के अभियुक्तगण हरेन्द्र सिंह वगैरह की ओर से एक आवेदन इस आशय का दिया गया है कि वाद में पारित आदेश दिनांक 22.06.2026 के पृष्ठ 6 पर एक स्थान पर बडहरा थाना कांड संख्या 48/2025 के स्थान पर 48/2026 लिपकीय भूलवश टंकित हो गया है। इनकी ओर से उक्त त्रुटि को सुधार करने का निवेदन किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि मामला बडहरा थाना कांड संख्या 48/2025 से सम्बन्धित है, किन्तु आदेश दिनांक 22.06.2026 के पृष्ठ 6 पर बडहरा थाना कांड संख्या 48/2026 टंकित हो गया है। अतः कार्यालय उक्त लिपकीय भूल को अविलम्ब सुधार करे। लेखापित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।	